

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

4.9.2019 पंचायती राज (वकील पसकार उपखिला) है।  
विभाजन प्रस्ताव आता। शाह पंचायती रहे।  
विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन विधान अधिवक्ता  
उपसपसकारान को कलाय गया। वहल विधान  
उपसपस खुनी गई। तैराने वहल विधान अधिव  
द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादगत इमि  
का विभाजन करने हेतु सहमति व्यक्त की।  
अतः हकम सहमति लेहलीलद्वारा राभगीपमडडी  
द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव लीकार किये जाक  
ग्राम न्यामलवेडी की इमि खड नं० 128,  
426, 459, 620 का पसकारों के मध्य निम्न  
प्रकार खाला विभाजन किया जाता है।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

क्र.सं.	नाम पसकार मय विभाज	ख.नं.	एकव)	रिमा
(1)	गुलाबार्ड पुत्री देव्या जाती	426	0.42	प०
	चमार सा. उदपुरिया खातेदार	620	0.20	उ०
		फिला 2	0.62 हे.	-
(2)	अल्लुराम किसानलाल पुत्र देव्या	128	0.17	-
	भोगीधर दिलीप, पुत्र प्रेमबार्ड	426	0.97	ख०
	कालीबार्ड पुत्रिया व कलावती	459	0.07	-
	पत्नी मांगीलाल, जलनबार्ड	620	0.59	द०
	पुत्री देव्या जाती चमार सा०			
	देह	फिला 4	1.80 हे.	-

दावा दायरी ख पूर्व या दौरान वाद किसी पसकार  
द्वारा कोई इमि किसी पस. या व्यक्ति को विधिक  
रूप से बैचम नर दी गई हो वा बैचान मुदा  
इमि कुला के नाम दर्ज की जाये। रिकार्ड में  
अमल दासद हो। अंतिक उडनी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.9.19 को सर्व इजलास (पुनर्मा)

*(Handwritten signature)*  
04/09/19  
(विभाजन अधिवक्ता)  
राज्य सरकार

# अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~का~~

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, याचता दोवाजी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

यज मान्यत उपलवठ अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी  
 व इजाजत चिमनलाल श्रीवा (R.A.S.)  
श्रीवाबाई नाम उल्हास  
 दावा न.सं. 53-R.A.S-Act-1955  
 मुकद्दमा नं. 194 दिनांक 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनाफिसाल कलई रु-न-क चिमनलाल श्रीवा (R.A.S.)  
 महाजरी श्री म. न. सौरी एड. मिलजातिव मुद्दई व श्री एम. आर. भली. एड.  
 मिलजातिव मुद्दामलाह पैषा होकर, उक्त दिनां याथा है व टिकरी दी जाती है कि

रुब्य सहमति लक्ष्मी लदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रत्युत विभाजन  
 प्रभाव लीकाल किये जाकर ग्राम व्यामलावेडी की कुमि रुबक नं०  
 128, 426, 459, 620, किला प (कब) 2.42 हे० का पसकारी कस्य  
 उक्त पर अकिलानुसार खाला विभाजन किया जाता है।

श्रीच ५ मुकलिया ५ खानत ५  
 खारी इस मुकद्दमे के मम मुद व शरह ५ फिकरी इजाजत याज की दलीख  
 से तारीख नमूनातको तक ५ को खदा करे।  
 वगैरा गेरे दस्तखत व मुहर अदालत के अ प तारीख ०५ मास ०९ 2019  
 को जारी की गई।

मुहर दस्तखत उपलवठ अधिकारी  
 जोहरा रामगंजमण्डी

मुद्दई	फावा	नं.	मुद्दामलाह	फावा	नं.
रुब्य थर्जाबा	[Diagram showing a triangular plot with a diagonal line]		रुब्य थर्जाबा	[Diagram showing a triangular plot with a diagonal line]	
रुब्य थर्जाबा			रुब्य थर्जाबा		
रुब्य थर्जाबा			रुब्य थर्जाबा		
रुब्य थर्जाबा			रुब्य थर्जाबा		
रुब्य थर्जाबा			रुब्य थर्जाबा		
रुब्य थर्जाबा			रुब्य थर्जाबा		
रुब्य थर्जाबा			रुब्य थर्जाबा		
रुब्य थर्जाबा			रुब्य थर्जाबा		

नोट: इस खर्च के काम पर कुल खर्च हर दो फरसिमा का, जहाँ डिकरी के सति विजयत गये हो या नही हुं  
 करता कहिये।

स. नं. जो. - 40-2004-1,00,000 प्र.

उपलवठ अधिकारी  
रामगंजमण्डी